

न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) नावां जिला डीडवाना-कुचामन
(कोर्ट कैम्प उप तहसील मारोठ दिनांक 27.02.2025)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती जीतू कुलहरी (आर.ए.एस.)

प्रा.पत्र दर्ज दिनांक 27.02.2025

प्रार्थना पत्र अधीन धारा-136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

- :: आदेश :: -

दिनांक : 28.02.2025

निम्न प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के लिए प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर. एल.आर. एक्ट में प्रस्तुत कर प्रार्थी स्वयं का नाम, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान एवं हिस्सा दुरुस्ती इत्यादि दुरुस्त करवाने का निवेदन किया गया। जिसके संलग्न दस्तावेज यथा-नकल जमाबंदी, जन आधार, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, इत्यादि के आधार पर एवं मुताबिक रिपोर्ट संबंधित पटवारी हल्का, संबंधित भू.अ. निरीक्षक/तहसीलदार/नायब तहसीलदार मारोठ की अभिशंघा पर राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्ध/दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

प्रार्थना संख्या	नाम प्रार्थी	ग्राम का नाम/पटवार हल्का	खाता संख्या	खसरा नं.	अशुद्ध नाम	शुद्ध व दुरुस्त किये जाने वाला इन्द्राज
38/2025	भंवरराम पुत्र हेमाराम	गौरवपुरा, पिपराली/लूणवां	68	582,583,584,585,589	भंवरिया पुत्र हेमा,	भंवरराम पुत्र
			69	740, 760, 762, 762	भंवरलाल पुत्र हेमा,	हेमाराम
			129	639, 640	भंवरलाल पुत्र हेमाराम	
39/2025	किशनाराम यादव पुत्र मूलाराम यादव	मूण्डगसोई, पिपराली/ लूणवां	103	362	किशनाराम पुत्र	किशनाराम यादव पु
			132	326, 327	मूलाराम	मूलाराम यादव
			158	336, 337, 338,339		
40/2025	किशनाराम यादव पुत्र मूलाराम यादव	मूण्डगसोई, पिपराली/ लूणवां	21	269, 270,284	किशनाराम पुत्र मूलाराम	किशनाराम यादव पुत्र मूलाराम यादव

नोट - संबंधित खाता/खसरा नं. के रहन होने की स्थिति में संबंधित बैंक आदेशानुसार अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करे।

यह आदेश आज दिनांक 28/02/2025 को मेरे द्वारा मजमें आम सुनाया गया।

(जीतू कुलहरी, RAS)
उपखण्ड अधिकारी नावां
(डीडवाना-कुचामन)

दिनांक : 28.02.2025

क्रमांक : राजस्व/कोर्ट/2025/17

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को पालनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है

1. तहसीलदार नावां/उप तहसीलदार मारोठ/लूणवां को भेजकर लेख है कि राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करे।
2. संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु।
3. संबंधित प्रार्थी को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी नावां
(डीडवाना-कुचामन)
उपखण्ड अधिकारी
नावां